

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्र॒र॒प 2क
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन—पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग— 1

(मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट]

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट] विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रतावक के हस्ताक्षर)

भाग— 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए ०१९/१८५/१२ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम २८८/१८५/१२

पिता/माता/पति का नाम २८८/१८५/१२

उसका डाक पता २८८/१८५/१२

उसका नाम ०१९/१८५/१२ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *में समाविष्ट ०३७२३/१८५/१२ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या १४) में क्रम सं० ८८/१ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपर्दर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

नाम निर्देशन पत्र का
क्रम सं० ३
मात्रा २३५ पै
तिथि २४.५.२०१७
आरोग्य-फॉर्म १४/१८५/१२
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक							
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग में संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम		हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5		6	7
1	०३७२५ भिरापुर	१४५	८२२	दुर्गा पाठेय-		Durga Patel	२५/५/२०१४
2	"	१४५	८४६	विश्वा लक्ष्मण-		Vishwa Lakshman	
3	"	१५५	९७८	अमरेन्द्र कुमार अडवा		Amerendra Kumar Adav	२४/५/२०१४
4	"	१३३	२८६	अमित कुमार खिंचा		Amit Kumar Khinchha	२५/५/२०१४
5	"	१४५	५६९	दुर्गा नाथ		Durga Nath	२५/५/२०१४
6	"	१४८	७३३	अजय शहवाजी		Ajay Shahwajee	२५/५/२०१४
7	"	१४८	५२८	दिनेश माहा		Dinesh Mahe	२५/५/२०१४
8	"	१४८	६१५	मधुसाट		Madhushast	२५/५/२०१४
9	"	१४८	१२५	संदीप कुमार किंश-		Sandeep Kumar Kins	२५/५/२०१४
10	"	९९	५६०	ओविन्द कुमार ता		Ovinde Kumar Taa	२५/५/२०१४

कृपया ध्यान दें :— प्रस्तावक के लिए में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग— 3

मैं भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ४९ वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में संजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में संजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ५८१ (ii) भिरा (iii) अल्पगी हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर दुर्गा (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(६) अपनी रायतम् जानकारी जाए तिवरणारा के अनुसार न लिए रखा जाने के लिए अहिंसा हैं और निरहिंत भी नहीं हैं।

मैं यह भी धोषणा करता हूँ कि मैं *जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो निःशरण के उस राज्य में के ५७-प्रभागी^४ (क्षेत्र) के संघर्ष में अनुशूचित *जाति/जनजाति हैं।

मैं यह भी धोषणा करता हूँ कि मुझे लोक रामा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख २४-०४-२०१४

नृलोकराम

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :— “मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल” से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है।

भाग— ३ (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम— 1951 (1951 का 43) की धारा ४ की—
.(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी दिधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है : या ✓/नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारादास से दंडित किया गया है
यदि उत्तर “हाँ” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : नहीं
- (i) मामला / प्रथम रूचना रिपोर्ट, संख्यांक मुझे
- (ii) पुलिस थाना (थाने) मुझे
जिला (जिले) मुझे
राज्य मुझे
- (iii) संबंद्ह अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था मुझे
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) मुझे
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था मुझे

- (vi) आधिरायेत दड कारावास (कारावासा) का अवधि आर या जुमान (जुमाना) का राश उपदारात कर
कृपा.....
- (vii) कारामार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखों)
कृपा.....
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे ; हौं / नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएँ :-
कृपा.....
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :-
कृपा.....
- (xi) क्या उबत अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है
कृपा.....
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
(क) निपटारे की तारीख (तारीखों)
कृपा.....
(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति
कृपा.....

स्थान :- कैटर्पिलर

तारीख :- 24-4-2014

नं० १०१०१०१०१

(अध्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग— 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम संख्या— ३५

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में २५/५/१४ (तारीख) को २.३५ PM (बजे) *अध्यर्थी/प्रत्तानक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख २५/५/२०१४

निवारिंग आफिसर (हस्ताक्षर)
प्रतिनिधि निवारिंग आफिसर
प्रतिनिधि निवारिंग आफिसर

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग— 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्वय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 36 के अनुसार प्रीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्वय करता हूँ :-

तारीख

(रिटर्निंग आफिसर)

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सकान अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	मुझे
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	मुझे
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुझे
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विचाना की गई	मुझे
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	मुझे
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सकान अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/हैं	मुझे

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्णकृत मद

(i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुझे
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	मुझे
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीकाश के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	मुझे

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1), या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है

यदि अनिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित गामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय हारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	₹५०/-
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, नामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	₹५०/-
(ग)	अधिरोपित दण	₹५०/-
(घ)	क्या सिद्धदोष उहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	₹५०/-

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आरितियाँ (जांगन और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जांगन आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जगा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य रटोंक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकटी	1,00000/-	20,000/-	₹५०/-	₹५०/-	₹५०/-
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा (जिसने बचत खाते नहीं हैं) वित्तीय संस्थाओं पर बैंक कार्यालयों द्वारा दिया	5000/-		₹५०/-	₹५०/-	₹५०/-



नंदा लालनाथ

	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जगा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भूमि	शुल्क	कुल	कुल	कुल
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैवितक क्रण/अधिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vi)	मोटररायन/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(विरतुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शुल्क	३००७१७५ २०७८०००- ५६६५८- ३०१७१७५ ५०७८- २२०००-.	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क- शुल्क	
(ix)	सामग्र लुल मूल्य	१,०५०००	७८,०००	१,१२८,०००	शुल्क	शुल्क

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी १— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

हिप्पन 2— प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	खबर	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) रावेक्षण संलग्नांक (संख्याएँ)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	लेट्र(एकड़ में कुल माप)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	वजा विश्वास में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	क्रुमि	कुल	कुमि	कुमि	कुमि
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	क्रुमि	कुल	कुमि	कुमि	कुमि
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	क्रुमि	कुमि	क्रुमि	कुमि	क्रुमि
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	कुमि	कुल	कुमि	कुल	कुमि
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	क्रुमि	क्रुमि	क्रुमि	कुल	कुमि
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	क्रुमि	कुल	क्रुमि	कुल	कुमि
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	कुमि	कुल	क्रुमि	क्रुमि	क्रुमि
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	क्रुमि	क्रुमि	कुल	कुमि	कुमि
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	क्रुमि	क्रुमि	कुल	कुल	कुमि
(iii)	दाणिजियक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	क्रुमि	कुल	कुमि	कुल	कुमि
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	क्रुमि	कुल	क्रुमि	कुल	कुमि
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	कुमि	कुल	क्रुमि	क्रुमि	कुमि
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	क्रुमि	कुल	क्रुमि	कुल	कुमि
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	क्रुमि	क्रुमि	क्रुमि	कुल	क्रुमि
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	क्रुमि	क्रुमि	क्रुमि	कुल	क्रुमि
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से रांपति पर कोई विनिधान	क्रुमि	कुल	क्रुमि	क्रुमि	क्रुमि
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	क्रुमि	क्रुमि	क्रुमि	क्रुमि	कुल
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	कुमि कर	कुमि	कुल	कुमि	कुमि



क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	12669042	शुल	शुल	शुल	शुल
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	160 ९०२	शुल	शुल	शुल	शुल
क्षय विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	६३-	शुल	शुल	शुल	शुल
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मुला	शुल	शुल	शुल	शुल
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	८०२	शुल	शुल	शुल	शुल
विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	10,000/-	शुल	शुल	शुल	शुल
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	80,000/-	शुल	शुल	शुल	शुल
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	५८-	शुल	शुल	शुल	शुल
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	90,000/-	शुल	शुल	शुल	शुल

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोधों के बारे में नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बारों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शुल	शुल	शुल	शुल	शुल
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शुल	शुल	शुल	शुल	शुल
	कोई अन्य दायित्व	शुल	शुल	शुल	शुल	शुल
	दायित्वों का कुल योग	शुल	शुल	शुल	शुल	शुल
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शुल	शुल	शुल	शुल	शुल
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुल	शुल	शुल	शुल	शुल
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	शुल	शुल	शुल	शुल	शुल



विभाग को शोध्य	त्रिवेदी	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक
टेलीफोन/गोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	त्रिवेदी	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिवेदी	त्रिवेदी	त्रिलोक
आय-कर शोध्य	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिवेदी	त्रिवेदी	त्रिलोक
घनकर शोध्य	त्रिलोक	त्रिवेदी	त्रिवेदी	त्रिवेदी	त्रिलोक
सेवाकर शोध्य	त्रिवेदी	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक
विक्रयकर शोध्य	त्रिवेदी	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक
कोई अन्य शोध्य	त्रिवेदी	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक
(iv) यथा कोई अन्य दायित्व विधादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	त्रिवेदी	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक	त्रिलोक

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) रवयं ५५६३१—
(ख) पुनिया पल्ली ५५६३२)—

10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिये अनुसार है:-

दिल्ली अमृतसार

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के व्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरा दे)

भाग—ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये छवीरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कृष्ण नंदलाल/ ७२५०
2	डाक का पूरा पता	ग्राम- पुर्जीनपा। पोस्ट- ०२३३६४००५ विधान- डिवारपुर। ५- अमरपुर।
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	०१ नासिरपुर। राज्य- उत्तर प्रदेश। ज़िला/ मेरठ। पोस्ट- ०३-१२३३६४००५। विधानसभा क्षेत्र



4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा "स्पतंत्र" लिखें)		कांगड़ा			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप दिरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]		शुभ			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदाय ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]		शुभ			
7	 का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	शुभ	शुभ	शुभ		
	(ख) प्रतिवाची पत्ती	शुभ	शुभ	शुभ		
	(ग) आश्रित	शुभ	शुभ	शुभ		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपरेखे गे)					
	विवरण	स्वयं	प्रतिवाची पत्ती	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जनगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,05,000/-	98,000	शुभ	शुभ	शुभ
ख	रथावर आस्तियां					
	i स्वार्जित रथावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	ii क्रय के पश्चात् रथावर संपत्ति की विकास/ संनिर्भाग लागत (यदि लागू हो)	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	iii अनुमानित वर्तमान मानव कीमत	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ

मुक्ति ३१/८५/८



	(क) स्वाजित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ ५०५ 90,000/-	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं
9	दायित्व					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं	शुभं
11	उच्चतम शौदिक अहंता:	“ <u>श्रद्धा</u> ”				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यारें दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मानला या लंबित मायले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मानला या लंबित नामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8.9 और 10 में उल्लिखित आरित या दायित्व से भिन्न कोई आरित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24.04.14 का सत्यापित किया गया।

बटूल|मरीम

अभिसाक्षी

- टिप्पणी:
- शपथपत्र नामांकन काइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक काइल किया जाना चाहिए।
 - शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
 - सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ छाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शुन्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
 - शपथपत्र टाकित या सुपाठ्यलय से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

बटूल|मरीम



- टिप्पणी** 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WPC) रुलेबा 121-2008 ने रितजैंस इंडिया बनाम भारत निवाचित आयोग एवं अन्य के नामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा वह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी नद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अर्द्धीकृत कर दिये जायेंगे।
- टिप्पणी** 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
- "मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं.....
 मेरा ई-मेल आईडीए (अगर कोई हो) है.....
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....



३५१ (१) (२) ३५१